रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249255
CG-DL-E-07102023-249255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]	नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945
No. 571]	NEW DELHI, FRIDAY , OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 724(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में संशोधन के अंतिम प्रकाशन की तारीख से अठारह महीने के बाद और उसके बाद लागू होगी।

2. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 47, उप-नियम 1, खंड ज में, निम्नलिखित शब्द, आंकड़े और अक्षर हटा दिए जाएंगे, अर्थात्:-

"और, बस बॉडी स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर द्वारा चेसिस पर निर्मित बस बॉडी के स्व-प्रमाणन के मामले में, फॉर्म 22 ख में अनुपालन का प्रमाण पत्र"

3. उक्त नियमों के, प्रारूप 22 ख को छोड़ दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों के, नियम 47 में, उप-नियम 5 में शब्दों और आंकड़ों के साथ "को और से... पोर्टल पर" को उप-नियम 6 के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के, नियम 47, उप-नियम 6 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

बशर्ते कि प्रत्येक बस बॉडी बिल्डर को पोर्टल https://www.vahan.nic.in/makermodel पर संबंधित ड्राइव अवे चेसिस के विरूद्ध बस बॉडी का विवरण अपलोड करना होगा।

6. उक्त नियमों के, नियम 125-ग में, उप-नियम 1 में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि, ड्राइवर को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली बसों की बॉडी बिल्डिंग का परीक्षण और अनुमोदन, बस बॉडी बिल्डर द्वारा समय-समय पर संशोधित एआईएस: 052 (संशोधन 1) -2008 के अनुसार किया जाएगा। उसमें उल्लिखित वाहनों के लिए, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं हो जाते, और सीएमवीआर 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों के, नियम 125-ग में, उप-नियम 7, तालिका 1 में, निम्नलिखित नए खंड ग को अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात्:-

"(ग) बस बॉडी बिल्डर द्वारा निर्मित चालक को छोड़कर 22 यात्रियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली बसें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर संशोधित एआईएस -153 के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

8. उक्त नियमों के, नियम 126 में,

"सीएमवी के नियम 126 के तहत 10वें और 11वें प्रावधानों को हटा दिया जाएगा।"

[फा.सं. आरटी -11028/02/2013-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2023

G.S.R. 724(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL&Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2023.

(2) This notification shall come into force on and after eighteen months from the date of final publication of Amendment in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules(CMVR), 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, sub-rule 1, clause g, the following words, figures and letters shall be omitted, namely: -

"and, in case of self-certification of the bus body built on a drive away chassis by a bus body structure fabricator, certificate of compliance in Form 22B"

3.In the said rules, Form 22B shall be omitted.

4.In the said rules, in rule 47, sub-rule 5 with words and figures "on and from …. on the portal" shall be renumbered as sub-rule 6.

5.In the said rules, in rule 47, the sub-rule 6, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that, every bus body builder shall upload the bus body details against the relevant drive away chassis on the portal https://www.vahan.nic.in/makermodel."

6.In the said rules, in rule 125-C, in sub-rule 1, after first proviso, following new proviso shall be inserted namely: -

"Provided further that, the testing and approval of body building of buses with seating capacity of 13 or more passenger excluding driver, by bus body builder shall be in accordance with AIS:052 (Revision 1)-2008, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016),and shall be type approved by the Test Agencies specified under Rule 126 of CMVR 1989."

7.In the said rules, in rule 125-C, in sub-rule 7, Table 1, following new clause c inserted namely: -

"(c) the buses with seating capacity exceeding 22 passenger excluding driver, built by bus body builder shall meet the requirements as per AIS-153, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act, 2016 (11 of 2016).

8.In the said rules, in rule 126,

"10th and 11th provisions under CMV Rule 126 shall be omitted."

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.07 14:31:41 +05'30'